

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 564 / 13

संस्थापन दिनांक : 14.08.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—मुरारीसिंह यादव पुत्र रामसिंह यादव उम्र 35 वर्ष,
 - 2—राजवीरसिंह यादव पुत्र भूपसिंह यादव उम्र 27 वर्ष,
 - 3—सोबरनसिंह यादव पुत्र भूपसिंह यादव उम्र 40 वर्ष,
 - 4—उदयवीरसिंह यादव पुत्र भूपसिंह यादव उम्र 25 वर्ष
- निवासीगण ग्राम पखोजया थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.07.13 को 11:30 बजे रूपसिंह के घर के सामने पखोजया थाना मौ जिला भिण्ड पर अनिल अ0सा01, कल्याण अ0सा02 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.13 को करीब 11:30 बजे फरियादी अनिल अ0सा01 अपनी लाइट का तार अपनी डी.पी. से अपने घर को आरोपी राजवीर की छत पर से होकर डाले था जिस पर राजवीर ने तार हटाने के लिए कहा इसी बात पर आरोपी मुरारी लाठी लेकर आया और बोला कि मादरचोद को देखता हूं और लाठी अनिल के सिर में मारी जिससे मूंदी चोट आई तथा राजवीर ने कुल्हाड़ी मारी जो अनिल के बांये कोहनी में लगी जिससे घाव खून निकल आया तथा आरोपी सोबरन ने अनिल को लाठी दोनों पैरों में मारी

जिससे मूंदी चोट आई। जब वह चिल्लाया तो उसे बचाने उसके पिता कल्याण अ0सा02 आये राजवीर ने उनके कुल्हाड़ी मारी जो उनके सिर में बांयी तरफ लगी जिससे खून निकल आया तथा मुरारी, उदयवीर, सोबरन ने लाठियां उसके पिता के मारीं जो कल्याण अ0सा02 के दोनों पैरों की पिंडरी, कमर व दोनों बखा में लगी जिससे मूंदी चोट आई तथा आरोपी मुरारी ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। तत्पश्चात फरियादी अनिल यादव अ0सा01 ने थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क0 136/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.07.13 को 11:30 बजे रूपसिंह के घर के सामने पखोजया थाना मौ जिला भिण्ड पर अनिल अ0सा01, कल्याण अ0सा02 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. अनिल अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व उसके आरोपीगण से छत पर केबल डालने की बात पर मुंहवाद हो गया था और गाली गलौच हुई थी झूमाझटकी में उसे व कल्याण को चोटें आई थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने थाने पर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी राजवीर ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कल्याण को राजवीर ने कुल्हाड़ी से मारा था। स्वयं की और विकास की भी लाठी से मारपीट किए जाने के सुझाव से इस साक्षी ने इंकार किया है। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने नक्शामौका प्र0पी-2 भी स्वयं के समक्ष बनाये जाने से इंकार किया है।
6. कल्याण अ0सा02 ने कथन किया है कि 2-3 वर्ष पूर्व केबल डालने की बात पर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था और झूमाझटकी में उसे व अनिल को चोटें आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसे राजवीर ने और अनिल अ0सा01 को भी राजवीर ने कुल्हाड़ी मारी थी और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि विकास की भी आरोपीगण ने लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. साक्षी विकास अ0सा03 ने कथन किया है कि 2-3 वर्ष पूर्व उसे अनिल

अ0सा01, कल्याण अ0सा02 को आरोपीगण से केबल डालने की बात पर हुए मुंहवाद में झूमाझटकी में चोटें आई थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि राजवीर ने अनिल अ0सा01 व कल्याण अ0सा02 को कुल्हाड़ी मारी थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

8. अतः स्वयं आहत साक्षीगण फरियादी अनिल अ0सा01 व कल्याण अ0सा02 ने घटना में स्वयं को आई चोटें आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी से पहुंचाये जाने से इंकार किया है। घटना के प्रत्यक्ष साक्षी विकास अ0सा03 ने भी आहतगण को आई चोटें कुल्हाड़ी से कारित किए जाने से इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष अभियोजन साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 29.07.13 को 11:30 बजे रूपसिंह के घर के सामने पखोजया थाना मौ जिला भिण्ड पर अनिल अ0सा01, कल्याण अ0सा02 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
9. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324 / 34 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
10. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
11. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0